संख्या-87/2021/1240/सैंतीस-2-2020-1(72)/03

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-02 अगस्त, 2021

विषय :- **गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-122/पशुधन-2/22/1/4/2021-22, दिनांक-05.07.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में रू0-790.00 लाख (रूपये सात करोड़ नब्बे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
18-प्रकाशन	5.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	15.00
39-औषधि तथा रसायन	80.00
42-अन्य व्यय	20.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	665.00
योग-	**790.00**

(रूपये सात करोड़ नब्बे लाख मात्र)

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों/अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
3. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
7. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
8. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
9. विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-87/2021/1240(1)/सैंतीस-2-2021- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-87/2021/1240/सैंतीस-2-2021-1(72)/03, दिनांक-02 अगस्त, 2021 का संलग्नक-

गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) (वित्तीय वर्ष 2021-22) (स्वीकृत धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	18-प्रकाशन	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेरठ	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	13.71510	15.46510
2	बागपत	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	5.11000	6.86000
3	गाजियाबाद	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	7.54740	9.29740
4	गौतमबुद्धनगर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	7.85190	9.60190
5	बुलन्दशहर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	14.24290	15.99290
6	हापुड़	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	6.85720	8.60720
7	सहारनपुर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	10.94590	12.69590
8	मुजफ्फरनगर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	7.70000	9.45000
9	शामली	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	8.04440	9.79440
10	मुरादाबाद	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	10.02260	11.77260
11	अमरोहा	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	4.23990	5.98990
12	रामपुर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	9.43460	11.18460
13	बिजनौर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	8.83540	10.58540
14	सम्भल	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	4.16500	5.91500
15	बरेली	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	8.70380	10.45380
16	बदायूं	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	9.36320	11.11320
17	शाहजहांपुर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	7.91280	9.66280
18	पीलीभीत	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	5.93460	7.68460
19	अयोध्या	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	5.80230	7.55230
20	अम्बेडकर नगर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	5.40680	7.15680
21	सुल्तानपुर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	10.41810	12.16810
22	बाराबंकी	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	20.23840	21.98840
23	अमेठी	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	10.81150	12.56150
24	गोण्डा	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	8.96770	10.71770
25	बलरामपुर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	2.62500	4.37500
26	बहराइच	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	7.70000	9.45000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	श्रावस्ती	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	5.60980	7.35980
28	बस्ती	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	8.43990	10.18990
29	संतकबीर नगर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	8.05000	9.80000
30	गोरखपुर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	15.24740	16.99740
31	महराजगंज	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	7.51660	9.26660
32	देवरिया	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	11.93990	13.68990
33	कुशीनगर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	11.93990	13.68990
34	प्रयागराज	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	23.10000	24.85000
35	कौशाम्बी	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	7.24290	8.99290
36	फतेहपुर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	11.47300	13.22300
37	प्रतापगढ	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	13.31960	15.06960
38	झांसी	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	5.40680	7.15680
39	ललितपुर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	6.72560	8.47560
40	जालौन	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	4.54440	6.29440
41	बांदा	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	4.76000	6.51000
42	चित्रकूट	0.07000	0.07000	0.21000	0.50000	0.17500	0.70000	1.72500
43	हमीरपुर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	11.40230	13.15230
44	महोबा	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	10.56020	12.31020
45	लखनऊ	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.30000	7.29750	9.06750
46	उन्नाव	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	13.05570	14.80570
47	रायबरेली	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	10.15420	11.90420
48	हरदोई	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	18.17900	19.92900
49	सीतापुर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	10.41810	12.16810
50	खीरी	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	9.75870	11.50870
51	आजमगढ	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	14.77000	16.52000
52	मऊ	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	7.78050	9.53050
53	बलिया	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	13.45120	15.20120
54	वाराणसी	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	1.05000	2.80000
55	जौनपुर	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	11.38200	13.13200
56	चन्दौली	0.07000	0.07000	0.21000	1.00000	0.28000	12.84290	14.47290
57	मिर्जापुर	0.07000	0.07000	0.21000	1.00000	0.28000	8.78500	10.41500
58	सोनभद्र	0.07000	0.07000	0.21000	1.00000	0.28000	7.37520	9.00520
59	संतरविदास नगर	0.07000	0.07000	0.21000	1.00000	0.28000	4.86920	6.49920
60	कानपुर नगर	0.07000	0.07000	0.21000	1.00000	0.36500	7.77000	9.48500
61	कानपुर देहात	0.07000	0.07000	0.21000	1.00000	0.28000	11.20000	12.83000
62	फर्रूखाबाद	0.07000	0.07000	0.21000	1.00000	0.28000	10.48950	12.11950

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

63	**इटावा**	0.07000	0.07000	0.21000	1.00000	0.28000	8.04440	9.67440
64	**औरैया**	0.07500	0.07500	0.22500	1.00000	0.28000	1.18300	2.83800
65	**आगरा**	0.07500	0.07500	0.22500	1.20000	0.28000	16.32260	18.17760
66	**मथुरा**	0.07500	0.07500	0.22500	1.00000	0.28000	13.52260	15.17760
67	**मैनपुरी**	0.07500	0.07500	0.22500	1.20000	0.28000	9.56900	11.42400
68	**फिरोजाबाद**	0.07500	0.07500	0.22500	1.20000	0.28000	13.29930	15.15430
69	**एटा**	0.07500	0.07500	0.22500	1.20000	0.28000	9.10000	10.95500
70	**अलीगढ**	0.07000	0.07000	0.21000	3.10000	0.40000	16.33800	20.18800
71	**हाथरस**	0.07000	0.07000	0.21000	1.12000	0.28000	6.41760	8.16760
योग-		**5.00000**	**5.00000**	**15.00000**	**80.00000**	**20.00000**	**665.00000**	**790.00000**

(रूपये सात करोड़ नब्बे लाख मात्र)

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।